



आन्ध्र बैंक ANDHRA BANK

Comp. No. 99108

(भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking)

शाखा Branch / कार्यालय Office / विभाग Department

संदर्भ Ref :

दिनांक Date :

एलएफसी / एलटीसी / 75% नकदीकरण के लिए आवेदन

APPLICATION FOR LFC / LTC / 75% ENCASHMENT

(एक माह से पहले प्रस्तुत किया जाना है To be submitted ONE MONTH in Advance)

ए A) कर्मचारी का नाम Name of the Employee :

बी B) कर्मचारी कूट संख्या Staff Code No. :

सी C) पदनाम Designation :

डी D) श्रेणी Grade :

ई E) मूल वेतन Basic : रु Rs.

अंशकालिक सफाई कर्मचारियों के मामले में : (संबंधित बॉक्स में टिक (√) चिह्न लगाएँ

In case of Part-Time Sweepers : Put (√) Tick mark in the relevant box)

1/3 वेतन wages

1/2 वेतन wages

पूर्ण स्केल वेतन Full scale wages

एफ F) पहले ली गयी एलएफसी / एलटीसी / 75% नकदीकरण सुविधा (दिनांक, माह एवं वर्ष दर्शाएँ) :

Last availed LFC / LTC / 75% Encashment Facility (Specify Day, Month and year) :

जी G) अवार्ड स्टाफ हेतु For Award Staff :

यदि कार्यभार ग्रहण करने से एलएफसी सुविधा का लाभ अब तक नहीं उठाया गया हो तो, कर्मचारी की इच्छा का वर्णन करें . एक बार व्यक्त इच्छा में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

If facility of LFC has not been availed since the date of Joining, employee's option should be mentioned.

Option once exercised, shall remain irrevocable.

4 वर्ष Years

2 वर्ष Years

एच H) पहले लिया गया ब्लॉक 2 वर्ष Years

4 वर्ष Years

Last availed Block :

होम टाउन Home Town

भारत में कहीं Anywhere in India

आई I) पहले लिये गये ब्लॉक की अवधि Last availed Block Period :

से From :

तक To :

जे J) पहले लिया गया नकदीकरण ब्लॉक Last availed Encashment Block (4 वर्ष Years) :

से From :

तक To :

वर्तमान ब्लॉक हेतु FOR THE PRESENT BLOCK

अपेक्षित छुट्टी की अवधि - Period of Leave required :

से From :

तक To :

दिनों की संख्या No. of Days :

किस प्रकार की छुट्टी आवेदित Type of Leave Applied for :

आछु CL / साछु PL / पूर्ण वेतन पर बीछु SL with Full pay / आधे वेतन पर बीछु SL with Half Pay / ईओएल EOL :

_____ दिनों हेतु छुट्टी नकदीकरण अपेक्षित **Leave Encashment required for _____ Days**

यात्रा का विवरण Particulars of Journey :

I) गंतव्य-स्थान (नजदीकी मार्ग से) Destination (by shortest route) :

(अधिकारियों के लिए मात्र एक गंतव्य-स्थान Only one destination for Officers)

यातायात का साधन Mode of Transport :

(यदि पति/पत्नी अन्य संस्था में काम करने पर उन्हें अपने नियोक्ता से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उनके द्वारा उक्त अवधि के दौरान एलएफसी / एलटीसी सुविधा नहीं उठायी गयी है।

In case the spouse is working in other organisation he/she should produce a Certificate from his/her employer confirming that he/she has not availed the LFC/LTC during the said period)

परिवार सदस्यों का विवरण Particulars of Family Members :

| क्र.सं. S. No. | नाम Name | आयु Age | संबंध Relationship | व्यवसाय Occupation | वार्षिक काय Annual Income रु Rs. | वैवाहिक स्तर Marital Status |
|----------------|----------|---------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

टिकटों की संख्या No. of Tickets :

पूर्ण Full :

आधी Half :

II) 75% नकदीकरण 75% Encashment :

हाँ YES / नहीं NO

(केवल भारत में कहीं ब्लॉक के अंतर्गत Under Anywhere in India Block only) :

एलएफसी / एलटीसी पर 75% नकदीकरण के मामले में अवार्ड स्टाफ सदस्यों को किसी भी प्रकार की 4 दिन की छुट्टी ली जानी चाहिए. अधिकारियों के मामले में छुट्टी लेना अनिवार्य नहीं है.

In the case of 75% Encashment of LFC / LTC, Award Staff members have to avail 4 days leave of any kind. In the case of Officers, avilment of leave is not mandatory.

घोषणा DECLARATION

मैं एतद्वारा यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने मानक आवेदन-पत्र में अपने होम टाउन / आवास शहर _____ राज्य के _____ के जिले में _____ घोषित किया है।

I hereby confirm that I have declared my Home Town / Place of Domicile in the standard application form as _____ in _____ district of _____ state.

मैंने परिवार की परिभाषा को पढ़ लिया है तथा यह घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र में दी गयी मेरे परिवार के सदस्य कथित परिभाषा के अंतर्गत आते हैं .

I have gone through the definition of family and declare that the members of my family mentioned in the application come within the said definition.

स्थान Place :

दिनांक Date :

कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of the Employee

प्रबंधक / प्रभारी अधिकारी / प्र.का. के विभागाध्यक्ष की सिफारिशें :

Recommendations of the Manager / Officer-in-charge / Head of the Department in H.O. :

मार्गदर्शी सिद्धांत Guidelines

एलएफसी / एलटीसी हेतु 'परिवार' की परिभाषा Definition of Family for the purpose of LFC / LTC :

अभिव्यक्त 'परिवार' का अर्थ होगा कर्मचारी की धर्मपत्नी/पती, पूर्ण रूप से आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेली बच्चे एवं कानूनी रूप से गोद लिये बच्चे) जो सामान्यतः साथ रह रहे हों तथा पूर्ण रूप से कर्मचारी पर आश्रित हों.

The expression 'Family' of the Employee shall mean the employee's spouse, wholly dependant unmarried children (including step-children and legally adopted children) as also parents ordinarily residing with and wholly dependant on the employee.

पूर्ण रूप से आश्रित बच्चे/माता-पिता का अर्थ होगा ऐसा परिवार सदस्य जिनकी मासिक आय रु. 2550/- प्रति माह से अधिक नहीं है.

The term wholly dependant child / parents shall mean such member of the family having a monthly income not exceeding Rs. 2550/- p.m.

यदि माता-पिता में से किसी एक की मासिक आय रु. 2550/- से अधिक है अथवा दोनों की कुल आय रु. 2550/- प्रति माह से अधिक है तो दोनों माता व पिता को कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं माना जाएगा.

If the income of one of the parents exceeds Rs. 2550/- p.m. or the aggregate income of both the parents exceeds Rs. 2550/- p.m., both the parents shall not be considered as wholly dependant on the employee.

एक विवाहित महिला कर्मचारी अपने सगे माता-पिता अथवा सास-ससुर को परिवार की परिभाषा में सम्मिलित कर सकती हैं, परंतु दोनों को नहीं बशर्ते कि माता-पिता / सास-ससुर सामान्यतः साथ रह रहे हों तथा उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों.

A married female employee may include her natural parents or parents-in-law under the definition of family but not both, provided that the parents/ parents-in-law are ordinarily residing with and wholly dependant on her.

माता-पिता में सौतेली माँ सम्मिलित होंगी परंतु सौतेला-पिता सम्मिलित नहीं होगा.

The term parents shall include step-mother but shall not include step-father.

सास-ससुर को महिला विवाहित कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित मानने हेतु, निम्नलिखित मानदण्डों का सख्तीपूर्वक अनुपालन किया जाएगा :

For considering parents-in-law as wholly dependant on the female married employee, the following criteria should be followed :

- उसका पति बेरोजगार है अथवा रु. 2550/- प्रति माह से कम कमाता है अथवा जीवित नहीं है.
Her husband is unemployed or earning less than Rs. 2550/- p.m. or not living.
- उसके सास-ससुर के कमानेवाले पुत्र न हों.
Her parents-in-law should not have earning sons.